भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 402

उत्तर देने की तारीख 26 अप्रैल, 2016
6 वैशाख, 1938 (शक)

विशेष ओलम्पिक भारत

402. श्री दुष्यंत चैटालाः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संघ की प्राथमिक श्रेणी की योजना के रूप में विशेष ओलम्पिक भारत निःशक्त एथलीटों को चयन और प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष ओलम्पिक भारत में भाग लेने वाले निःशक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विशेष ओलम्पिक भारत में इनके लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को पर्याप्त संख्या में कोच और उपस्कर प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित और प्रयुक्त की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सर्बानन्द सोनोवाल)

(क) सरकार द्वारा विशेष ओलंपिक भारत (एसओबी) को एक राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की स्कीम के मानको के अनुसार भारत में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं को आयोजित करने, विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने, राष्ट्रीय टीम की कोचिंग/प्रशिक्षण, उपस्कर सहायता आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान प्रदान करने हेतु इसे सरकार द्वारा "प्राथमिक" विधा की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

खिलाड़ियों के चयन का उत्तरदायित्व एसओबी सहित संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है और सरकार खिलाड़ियों के चयन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले बौद्धिक रूप से निःशक्त खिलाड़ियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**प्रतिभागी**
2013	**58 (विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल)**

2015	213 (विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल)

(ग) और (घ) सरकार ने एसओबी को 'राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता' की स्कीम के अंतर्गत पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय टीमों की कोचिंग/प्रशिक्षण, भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों को आयोजित करने, विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने आदि के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराईः-

वर्ष	उपलब्ध कराई गई सहायता (लाख रू.)
2012-13	69.28
2013-14	274.51
2014-15	19.17
2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक)	412.28

****